Annexure-1

Form-1

For linear projects Government of india

Office of the District Collector Tehri Garhwal

No. 706 XXVI-56 (2019-20)

Dated. 27/7/19

To WHOM SO EVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MoFF) Government of india's letter no. 11-98-FC (pt) dated 3rd August 2009 where in the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initialect and completed the process of settlement of rights under the Scheduled tribes and other Traditional forest Dwellers (Recognition of forest Rights) Act, 2006 (FRA, for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relanation in respect of linear projects it is certified that **1.81% hectares** of forest land proposed to be diverted in favour of Executive Engineer,PMGSY-III PWD New Tehri (purpose for diversion of forest land) in Tehri Garhwal district fails within jurisdiction of Later KOTHAR VILLAGE In Ghansali Tehsil.

It is further certified that

- (b) The diversion of forest land for facilities managed by the government as the required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Gram sabha have given their consent to it,
- (c) The proposal does not involve recognized rights of primitive tribal groups and preagricultural communities.

Date:-

Encl. As above.

S.D.M Ghansafi

Tehri Garhwal

Signature जिला अधिकारी (....टिहरी गढवाल District collector, Tehri Garhwal



(for Project other than nonlinear projects)

Government of Uttarakhand

Office of the District Collector Tehri

No-

Dated-

TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forest (MoEF), Government of India's letter No 11-9/98-FC(pt) dated 3rd August 2009 where in the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes, it is certified the 1.819 hectares of forest land proposed to be diverted in favour of Executive Engineer, PMGSY-III PWD New Tehri (name of user agency) for प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अर्न्तगत जनपद टिहरी गढ़वाल के विकास खण्ड भिलगंना में घनसाली घुत्तु मोटर मार्ग के कि0मी0 13.00 से कोठार गांव मोटर मार्ग के वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव। लम्बाई 3.6 किमी0 स्टेज प्रथम, फैज-xviii (purpose for diversion of forest land) in Tehri Garhwal District falls within jurisdiction of PMGSY-III New Tehri.

It is further certified that:

- (b) The proposal for such diversion (with full details of project and its implications, in vernacular/ local language) have been placed before each concerned Grama Sabha of Forest Dwellers, who are eligible under the FRA.
- (d) The discussion decisions on such proposals had taken pace only when there was a quorum of minimum 50% of the member of Gram Sabha Present.
- (e) The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Grama Sabhas have given their consent to it.
- The rights of Primitive Tribal Groups and Pre-Agricultural communities, where applicable have been specifically safeguarded as per section 3 (1)(e) of the FRA

Encl: As above.

(Full Name of official seal of the District Collector)

63

प्रारुप-30.1

OFFICE OF THE DISTRICT COLLECTOR DISTRICT –TEHRI GARHWAL (UTTARAKHAND)

Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under schedule tribes & other Traditional forest Dwellers (recognition of rights) Act (FRA). 2006.

A meeting of the district level committee of Tehri Garhwal district, constituted under FRA. 2006 was held under the chairmanship of **Dr. V. Shanmugam I.A.S** District collector, Tehri Garhwal at New Tehri in which application claiming rights in Block – Bhilangana area measuring **1.819** hect. for प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अर्न्तगत जनपद टिहरी गढ़वाल के विकास खण्ड भिलगंना में घनसाली घुत्तु मोटर मार्ग के कि0मी0 13.00 से कोठार गांव मोटर मार्ग के वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव। लम्बाई 3.6 किमी0 स्टेज प्रथम, फैज–xix forest land under FRA. 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub division level committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection/claims were found to have been made & hence District level committee recommend the above case for diversion of land for the said purpose.

Place; New tehn

Dated: 27/07/19.

जिला अधिकारी
टिहरी गढवाल
District Collector-cum-Chairman
District Level Committe

444-30.2 JUN-23.2

परियोजना का नाम :— प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अर्न्तगत जनपद टिहरी गढ़वाल के विकास खण्ड भिलगंना में घनसाली घुत्तु मोटर मार्ग के कि0मी0 13.00 से कोठार गांव मोटर मार्ग के वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव। लम्बाई 3.6 किमी० स्टेज प्रथम, फैज-xvIII-XXX

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण पत्र उपखण्डीय स्तरीय समिति, घनसाली

उपखण्ड घनसाली परिक्षेत्र के अन्तर्गत प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढ़वाल के विकास खण्ड भिलगंना में घनसाली घुत्तु मोटर मार्ग के कि0मी0 13.00 से कोठार गांव मोटर मार्ग के वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव। लम्बाई 3.6 किमीo स्टेज प्रथम, फैज-xॅऑर निर्माण कार्य हेतु 1.81 है है । आरक्षित वन भूमि का अधिशासी अभियन्ता पी०एम०जी०एस०वाई०—3 लो०नि०वि० नई टिहरी प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेत् अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम,2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील-घनसाली) की दिनांक-.3-6-2019... को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण:-

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एव नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री जिन्दाराम न्योद्दान उपजिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुार है :-

1. श्री प्राचात्र याद्वा उपजिलाधिकारी 2. श्री भागाम नेत्री कार्यक्राम्य प्रभागीय वनाधिकारी

3. श्री भूम पर्वा पर्वा स्वरमाज कल्याण अधिकारी, धर्मसाली / चिमयाला सदस्य / सचिव। 4. श्री विकास निर्वास के बीठडी०सी० क्षेत्र पंचायत सदस्य / प्रमुख भिल्पमा। सदस्य।

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उपजिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अर्न्तगत जनपद टिहरी गढ़वाल के विकास खण्ड भिलगंना में घनसाली घुत्तु मोटर मार्ग के कि0मी0 13.00 से कोठार गांव मोटर मार्ग के वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव। लम्बाई 3.6 किमी0 स्टेज प्रथम, फैज-xxभी निर्माण कार्य हेतु 1.818 है0 वन भूमि का अधिशासी अभियन्ता पी०एम०जी०एस०वाई०—3 लो०नि०वि० नई टिहरी प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लिम्बत नहीं है। उक्त भूमि का सम्बन्धित ग्राम सभा द्वारा सर्व सम्मित से पारित प्रस्ताव के आधार प्र सार्वजिनक उपयोग हेत् प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

सम्बन्धित उप प्रभागीय वनाधिकारी टिहरी गढवाल नई टिहरी द्वारा अनुसूचित जनजाति एंव अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एंव तत्सम्बन्धी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि वन अधिनियम 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार को दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस सम्बन्ध में नगर पंचायत / ग्राम सभा / पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड

रतरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

It is further certified that-Minutes of Meeting of Construction of प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अर्न्तगत जनपद टिहरी गढ़वाल के विकास खण्ड भिलगंना में घनसाली घुत्तु मोटर मार्ग के कि0मी0 13.00 से कोठार गांव मोटर मार्ग के वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव। लम्बाई 3.6 किमी0 स्टेज प्रथम, फैज—अप्री निर्माण कार्य scheme regarding FRA is ad following.

Sr. No.		Remark	
(a)	*		
(b)	The Diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under	Yes copy of records attached as there are no habitants belonging to scheduled tribes and other traditional Forest Dwellers. No objection certificate construction of aforesaid Water supply is attached.	
(c)	The proposal does not involve recognized rights of primitive Tribal	Yes copy of records attached as there are no habitants belonging to scheduled tribes and other traditional Forest Dwellers.	

(केदरि बत्विल) जिला पाद्यस्थात सदस्य,

जिला पंचित्रहरीजिला कुक्लम समिति टिहरी गढ़वाल समाज कल्याण अधिकारी टिहरी गढ़वाल। प्रतिहरताक्षरित

प्रभागीय वनाधिकारी प्रभागीय वनाधिकारी प्रभागितन प्रभाग, टिहेरी वन प्रभाग, नहीं इटहिस्सी।

वन सम्माना रें अ धनसा भिल्माना रें अ धनसा चिट यह प्रह नई दि

अधिशासी अभियन्ता, पी०एम०जी०एस०वाई०–3 लो०नि०वि० नई टिहरी, े उप जिलाधिकारी / प्रशासक, नगर पंचायत, धनसाली जिला अधिकारी जिला अधिकारी, दिहरी गढवाल

41204 _ 30.3

कार्यालय उपजिलाधिकारी, घनसाली उपखण्ड स्तरीय समिति, घनसाली टिहरी गढवाल।

आज दिनांक— १ ६ २०१९को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अर्न्तगत जनपद टिहरी गढ़वाल के विकास खण्ड भिलगंना में घनसाली घुत्तु मोटर मार्ग के कि0मी0 13.00 से कोठार गांव मोटर मार्ग के वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव। लम्बाई 3.6 किमी0 स्टेज प्रथम, फैज— १ भी निर्माण कार्य हेतु भूमि हस्तानान्तरण प्रस्ताव के सम्बन्ध में वन अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक उपजिलाधिकारी, घनसाली की अध्यक्षता में हुई। माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार :-

क्रि0	अधिकारी का नाम	पद नाम	हस्ताक्षर
सं०			
1	श्री किन्याक्ष्य निर्म	उपजिलाधिकारी, घनसाली	4
2	2120 THE JOH	उप प्रभागीय वनाधिकारी, धनसाली	जप जिलाधिकारी हान हो है। जनसाली विक्लगना है। हिठ खठ प्र
3	20170 20170 पेवार	सहायक समाज कल्याण अधिकारी	Sathin
4	9AT TOVIY 31-12-11 011	बी०डी०सी० क्षेत्र पंचायत सदस्य/प्रमुख भिलगना	Que

प्रतिहरनाक्षरित

प्रमागिय वनाधिकारी वहरी वन प्रभाग नई टिहरी

प्रपत्र 23

परियोजना का नाम :— प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अर्न्तगत जनपद टिहरी गढ़वाल के विकास खण्ड भिलगंना में घनसाली घुत्तु मोटर मार्ग के कि0मी0 13.00 से कोठार गांव मोटर मार्ग के वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव। लम्बाई 3.6 किमी0 स्टेज प्रथम, फैज—अराम व्यव

वन अधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र

नगर पंचायत / ग्राम पंचायत का नाम— कोठार तहसील—घनसाली, जिला—टिहरी गढवाल।

जिला टिहरी गढवाल उत्तराखण्ड में राज्य योजना के अन्तर्गत प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढ़वाल के विकास खण्ड भिलगंना में घनसाली घुत्तु मोटर मार्ग के कि0मी0 13.00 से कोठार गांव मोटर मार्ग के वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव। लम्बाई 3.6 किमी0 स्टेज प्रथम, फैज—x्रमा निर्माण कार्य की परियोजना के निर्माण हेतु 1.81% है0 आरक्षित वन भूमि का अधिशासी अभियन्ता पी०एम०जी०एस०वाई०—3 लो०नि०वि० नई टिहरी /संस्था के पक्ष में भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में नगर पंचायत/ग्राम पंचायत कोठार द्वारा दिनांक-2.6.02.2019

...... को सम्पन्न नगर पंचायत / ग्राम सभा / ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के सम्बन्ध मं अनापित्त प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा / कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्राम वासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा / कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिक्ति परियोंजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर नगर पंचायत / ग्राम वासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त नगर पंचायत/ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया/प्रस्ताव पारित किया गया कि नगर पंचायत/ग्राम पंचायत कोठार के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि अधिशासी अभियन्ता पी०एम०जी०एस०वाई०—3 लो०नि०वि० नई टिहरी प्रयोक्ता एजेन्सी

को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एंव सही है।

अधिशासी अभियन्संग/ सचिव अधिशासी अभियन्संग/ सचिव

नोट निविधिक किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है, तो तद्नुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाय।

उक्त प्रपत्र प्रयोक्ता एजेन्सी के द्वारा प्राप्त कर प्रस्ताव के साथ संलग्न किया जाना है।

ह0/-/
प्रशासक ८ अध्यक्ष

सेवा में श्रीमान खाध्यापी सिभभन्ता महोद्य पी०रूम० औ० रूस० वाय॰ III ती॰ नि॰ वि॰ नई स्टिरी किं। ग०

निषय- ग्राम काहार भिलंग कीतरफ से सड़क निर्माण के सन्तरीत स्विधि खेती स्थान पर सनापानी सम्बन्धी सार्पना पत्र महोहप की तेला में स्थित।

महोदय- गाम काहार भिलंग हि. ग. में आपके विभाग डारा औ सड़क निर्भाष के स्थान ही में सेव करायी गई है एस सेव के छान सार सड़क निर्भाष के दीरान किसी भी गाम वासी की तरफ से कुछ माण अमि/अभीन पर किसी भी प्रकार से सापित नहीं है उनेर निवास के कामी पर किसी भी प्रकार से सापित नहीं है उनेर निवास के कामी के स्था स्था गाम का साथ करण में स्थ समाय के साथ करण में स्थ समाय के साथ करण में स्थ माला ने के साथ करण में स्थ माला के साथ करण में स्थ माला है।

आपसे नम्न लिनेट्न है कि हमारे गाम समा अतिश्री हामिसी है। सम्म निर्माण कार्य प्रथम किया आये निर्मि कि जान की जनलान समस्या का निर्माण है। सेवा निर्मि कि जान की जनलान समस्या का निर्माण

2) Gain-4-1011M

9) 317 1120

(S) A-02 2119

(b) 21014100 (d) 21014100

A A mul

(9) Kamleshwar Jane

(10), Davet, en

(1) FERMON

Bornen

211811 5113101101 2114 00151 121015)

रमेश सिंह नेगी

क्षेत्र पंचायत ज्यून्यामा विश्य ०-सिलंगना (टिश्मं०)



· 1223 min 2122 min

23 5 16

1 . Y

NJ3